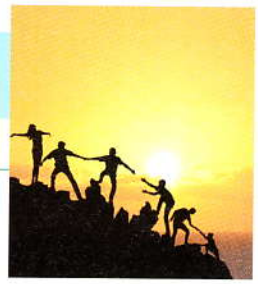

घर से बाहर तक सुरक्षा के कानून

अनुषा पुनिया
रीटा गोयल

हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, सभी शिक्षित या अशिक्षित महिलाएं नहीं पर हां भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है

नारी समाज की एक अभिन्न अंग है। अतीत से ही नारी का समाज में सर्वोपरि स्थान रहा है। महिलाएं माता, पत्नी एवं बहन के रूप में सृष्टि की रचना करती हैं, उन्हें सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का विशिष्ट स्थान रहा है।

महिला अधिकारों का हनन और कानून

सामाजिक तौर पर महिलाओं को त्याग, सहनशीलता व शर्मीलेपन का ताज पहनाया गया है, जिसके भार से दबी महिलाएं कई बार जानकारी होते हुए भी इन कानूनों का उपयोग नहीं कर पातीं तो बहुत मामलों में महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो रही घटनाएं हिंसा हैं और इससे बचाव के लिए कोई कानून भी है। आमतौर पर शारीरिक प्रताड़ना यानी मारपीट और जान से मारना आदि को ही हिंसा माना जाता है और इसके लिए रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा की गई क्रूरता, जिसके अंतर्गत मारपीट से लेकर कैद में रखना, खाना न देना व दहेज के लिए प्रताड़ित करना आदि आता है, के तहत अपराधियों को तीन वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, पर शारीरिक प्रताड़ना की तुलना में महिलाओं के साथ मानसिक प्रताड़ना के मामले ज्यादा होते हैं।

हमारे समाज में महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद अपने कानूनी अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, सभी शिक्षित या अशिक्षित महिलाएं नहीं पर हां भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। आइए महिलाओं के अधिकारों से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं के बारे में जानें–

महिलाओं के कानूनी अधिकार

घरेलू हिंसा (2005) : घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण 2005 में किया गया और 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया। यह अधिनियम महिला बाल विकास द्वारा ही संचालित किया जाता है। शहर में महिला बाल विकास द्वारा जोन के अनुसार आठ संरक्षण अधिकारी नियुक्ति किए गए हैं। जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायत सुनते हैं और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद प्रकरण को न्यायालय भेजा जाता है। कानून ऐसी महिलाओं के लिए है जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित हैं। इसमें अपशब्द कहे जाने, किसी प्रकार की रोक-टोक करने और मारपीट करना आदि प्रताड़ना के प्रकार शामिल है। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के हर रूप मां, भाभी, बहन, पत्नी और किशोरियों से संबंधित प्रकरणों को शामिल किया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष को अभियोजित कर सकती है अर्थात् उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है।

यौन प्रताड़ना से मुक्ति : यौन प्रताड़ना, छेड़छाड़ या फिर बलात्कार जैसे वारदातों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत छेड़छाड़ के मामलों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसके तहत आईपीसी की धारा-354 को कई सब सेक्शन में रखा गया है। 354-ए

दोनों लेखिकाएं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के विस्तार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन विभाग में शोधार्थी हैं। ईमेल: anushapunia@gmail.com

के तहत प्रावधान है कि सेक्शुअल नेचर का कॉन्टैक्ट करना, सेक्शुअल फेवर मांगना आदि छेड़छाड़ के दायरे में आएगा। इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। अगर कोई शख्स किसी महिला पर सेक्शुअल कॉमेंट करता है तो एक साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-बी के तहत अगर कोई शख्स महिला की इज्जत के साथ खेलने के लिए जबरदस्ती करता है या फिर उसके कपड़े उतारता है या इसके लिए मजबूर करता है तो तीन साल से लेकर सात साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। 354-सी के तहत प्रावधान है कि अगर कोई शख्स किसी महिला के प्राइवेट ऐक्ट की तस्वीर लेता है और उसे लोगों में फैलाता है तो ऐसे मामले में एक साल से तीन साल की सजा का प्रावधान है।

कार्य क्षेत्र पर भी महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार मिले हुए हैं। यौन प्रताड़ना से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा जजमेंट के तहत गाइडलाइंस तय की थीं। इसके तहत महिलाओं को सुरक्षित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस तमाम सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में लागू है। इसके तहत एंप्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने बारह गाइडलाइंस बनाए हैं। एंप्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी है कि वह यौन प्रताड़ना को रोके। यौन प्रताड़ना के दायरे में छेड़छाड़, गलत नीयत से छूना, सेक्शुअल फेवर की डिमांड या आग्रह करना, अन्य तरह से आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है। इन मामलों के अलावा, कोई ऐसा ऐक्ट जो आईपीसी के तहत अपराध है, की शिकायत महिलाकर्मी द्वारा की जाती है, तो एंप्लॉयर की ड्यूटी है कि वह इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करे। कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि पीड़िता अपने दफ्तर में किसी भी तरह से पीड़ित-शोषित नहीं होगी। इस तरह की कोई भी हरकत दुर्व्यवहार के दायरे में होगी और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रत्येक दफ्तर में एक शिकायत कमिटी होगी, जिसकी चीफ महिला होगी। कमिटी में महिलाओं की संख्या आधे से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, हर दफ्तर को साल भर में आई ऐसी शिकायतों और कार्रवाई के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना होगा।

मातृत्व अवकाश का अधिकार: संविधान के अनुच्छेद-42 के तहत कामकाजी महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए हैं। संसद ने 1961 में यह कानून बनाया था। इसके तहत कोई भी महिला अगर सरकारी नौकरी में है या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी अन्य प्राइवेट संस्था में, जिसकी स्थापना इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट 1948 के तहत हुई हो, में काम करती है तो उसे मेटरनिटी लाभ मिलेगा। इसके तहत महिला को बारह हफ्ते का मातृत्व अवकाश है जिसे वह अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकती है। इस दौरान महिला को वही वेतन और भत्ता दिया जाएगा जो उसे आखिरी बार दिया गया था। अगर महिला का गर्भपात हो जाता है तो भी उसे इस ऐक्ट का लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत यह प्रावधान है कि अगर महिला गर्भावस्था के कारण या फिर वक्त से पहले बच्चे का जन्म होता है या फिर गर्भपात हो जाता है और इन कारणों से अगर महिला बीमार होती है तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे एक महीने का अतिरिक्त अवकाश मिल सकता है। इस दौरान भी उसे तमाम वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे।

स्त्रीधन पर महिला का अधिकार : स्त्रीधन वह धन है जो महिला को शादी के वक्त उपहार के तौर पर मिलते हैं। इन पर लड़की का पूरा हक माना जाता है। इसके अलावा, वर-वधू को कॉमन यूज की तमाम चीजें दी जाती हैं, ये भी स्त्रीधन के दायरे में आती हैं। स्त्रीधन पर लड़की का पूरा अधिकार होता है। अगर ससुराल ने महिला का स्त्रीधन अपने पास रख लिया है तो महिला इसके खिलाफ आईपीसी की धारा-406 (अमानत में खयानत) की भी शिकायत कर सकती है। इसके तहत कोर्ट के आदेश से महिला को अपना स्त्रीधन वापस मिल सकता है।

जमीन जायदाद से जुड़े अधिकार : विवाहित या अविवाहित महिलाओं को अपने पिता की संपति में बराबर का हिस्सा पाने का हक है। इसके अलावा विधवा बहु अपने ससुर से गुजाराभत्ता व संपत्ति में हिस्सा पाने की भी हकदार है। हिन्दू मैरेज एक्ट 1955 के सेक्शन 27 के तहत पति और पत्नी दोनों की जितनी भी संपत्ति है, उसके बंटवारे की भी मांग पत्नी कर सकती है। इसके अलावा पत्नी के अपने 'स्त्री-धन' पर भी उसका पूरा अधिकार रहता है। 1954 के हिन्दू मैरेज एक्ट में महिलाएं संपत्ति में बंटवारे की मांग नहीं कर सकती थीं, लेकिन अब कापार्सोनरी राइट के तहत उन्हें अपने दादाजी या अपने पुरखों द्वारा अर्जित संपत्ति में से भी अपना हिस्सा पाने का पूरा अधिकार है। यह कानून सभी राज्यों में लागू हो चुका है।

नौकरी/स्वव्यवसाय करने का अधिकार : संविधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हर वयस्क लड़की व हर महिला को कामकाज के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार पुरुषों के बराबर है। केवल महिला होने के नाते रोज़गार से वंचित करना, किसी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करना लैंगिक भेदभाव माना जाएगा।

अपराध की धारा/सजा

- अपहरण, भगाना या औरत को शादी के लिए मजबूर करना - धारा 366 - 10 वर्ष।
- पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना - धारा 494 - 7 वर्ष।
- पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता - धारा 498ए - 3 वर्ष।
- बेइज्जती करना, झूठे आरोप लगाना - धारा 499 - 2 वर्ष।
- दहेज - धारा 304क - आजीवन कारावास।
- दहेज मृत्यु - धारा 304ख - आजीवन कारावास।
- आत्महत्या के लिए दबाव बनाना - धारा 306 - 10 वर्ष।
- सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गीत गाना - धारा 294 - 3 माह कैद या जुर्माना या दोनों।
- महिला की शालीनता भंग करने की मंशा से की गई अश्लील हरकत - धारा 354 - 2 वर्ष।
- महिला के साथ अश्लील हरकत करना या अपशब्द कहना - धारा 509 - 1 वर्ष।
- बलात्कार - धारा 376 - 10 वर्ष की सजा या उम्रकैद।
- महिला की सहमति के बगैर गर्भपात कराना - धारा 313 - आजीवन कारावास या 10 वर्ष कैद / जुर्माना। ❑